



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग का अपहरण करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना जरिया में पंजीकृत मु0अ0सं0-06/2023 धारा-363,366,376 भा0द0सं0 व 4 पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त प्रलयांकर उर्फ अक्षय कुमार पुत्र मुन्नालाल कुशवाहा निवासी पवई थाना जरिया जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुये 20 वर्ष का कठोर कारावास व 15,000/- रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



एडीजीसी
रुद्र प्रताप सिंह



विवेचक-
उ0नि0 विजय
बहादुर



पैरोकार
थाना- जरिया
हे0का0 विद्यासागर